

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-01/2018

उर्दू अनुवादक पद के मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय में विज्ञापन संख्या-01/2018 के अन्तर्गत उर्दू अनुवादक के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 09.04.2019 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गयी। इस परीक्षा के आधार पर विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए मेधा क्रमानुसार अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल निम्नवत है:-

S. No	Roll Number	Candidate's Name	Father's Name	DOB	Gender
कोटि-अनारक्षित					
1	150203608	MOHASINA KHATOON	SK MD KHURSHED ALAM	10-Dec-87	FEMALE
कोटि-अनुसूचित जाति					
2	150203611	CHANDRA PRAKASH KUMAR	SHEO DENI RAM	17-Jun-95	MALE

सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सभा सचिवालय के एनेक्सी बिल्डिंग में दिनांक 18.08.2019 (मंगलवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में होगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

- मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card)।
- दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए-
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)।
 - स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र,
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
- मुख्य परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के अंक शीघ्र ही सभा सचिवालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वाञ्छित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

MZ
सचिव 9/6/19
बिहार विधान सभा